

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक क-1/गो0प्र0

क्रमांक 13845 कार्मिक/क-1/गो0प्र0/78

दिनांक 14 नवम्बर, 1984

-: परिपत्र :-

विषय :- अधिवाषिकी आयु में बढ़ोतरी के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 24482 के अधीन सेवा नियमों की कड़ाई से पालना के सम्बन्ध में।

इस विभाग के समस्त अधिकारी परिपत्र दिनांक 4-4-81 के अनुसार 31 मार्च को जो कर्मचारी 59 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, या 25 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लेते हैं, उनकी जांच Screening का कार्य नियमित रूप से प्रति वर्ष किये जाने की व्यवस्था की हुई है।

समस्त शासन अधिकारियों को यह सुनिश्चित कराएँ कि अधिवाषिकी की आयु में बढ़ोतरी के बाद भी राज्य सेवा में कार्य का स्तर एवं गति को बनाए रखने के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 24482 के प्रावधानों एवं इस विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण कठोरता से पालन किया जाए।

इस मामले पर पूर्व प्रचलित परिपत्रों का संदर्भ विवरण सुविधा हेतु उल्लेखित कर दिया गया है।

(Signature)

एम0डी0 कौरानी
विशेष शासन सचिव।

-: अनुबन्ध :-

नियम 24482 राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा मामले पर प्रचलित परिपत्रों का संदर्भ-विवरण :-

सेवा का नाम	मुख्य परिपत्र	तदुपरान्त प्रचलित संशोधन-परिपत्र
राज्य सेवा	सं0 24855 नियुक्ति/क/57/पार्ट-1-ग्रुप-1/सी0आर0 दिनांक 19-6-1972	सं0981 नियुक्ति/क/57-पार्ट-11 दि0 27-2-1974
		सं024855 नियुक्ति/क/57-पार्ट-1-ग्रुप-1/सी0आर0 दि0 19-4-1974
		सं08852 कार्मिक/ए0सी0आर0/72/पार्ट-11 दिनांक 21-2-1975
		सं014860 कार्मिक/ए0सी0आर0/75 दि0 2-9-75 एवं 14-2-1977
अधीनस्थ सेवा	सं0 24855 नियुक्ति/क/57/पार्ट-1/ग्रुप-1/सी0आर0 दि0 19/26-4-1972	सं08841 कार्मिक/ए0सी0आर0/73 दिनांक 25-5-1973, 12-9-1974, 11-11-1974, 4-9-1975 एवं 13-11-1975

कृ0प्र0उ0

मंत्रालयिक
सेवा

सं० 24/55/नियुक्ति/क/57
पार्ट-1/गुप-1/सीआर
दिनांक 19/26-4-1972

- ॥1॥ सं० 24/55/नियुक्ति/क/57/पार्ट-1/
गुप-1 दिनांक 18-7-1972
- ॥2॥ सं० 08/42/नियुक्ति/एसीआर/72
दिनांक 29-8-1972
- ॥3॥ सं० 24/55/नियुक्ति/क/57/पार्ट-1/
गुप-1 दिनांक 11-11-1974
- ॥4॥ सं० 08/42/कार्मिक/एसीआर/72
दिनांक 27-11-1975
- ॥5॥ सं० 08/41/कार्मिक/एसीआर/72
दिनांक 4-1-1977

चतुर्थ श्रेणी
सेवा

सं० 14/41/कार्मिक/एसीआर/
73 दिनांक 12-9-1973

-----x-----

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- सचिव, राजस्थान/मुख्य मन्त्री
- 2- राजस्थान आयोग एवं शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव ।
- 3- समस्त निजी सचिव/मन्त्रीगण/राज्य मन्त्रीगण/उप मन्त्रीगण/निजी सचिव/मुख्य सचिव ।
- 4- अन्तर्गत विभागों के अध्यक्ष/जिलाधीशों सहित कुपया अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति अधिकारियों में सर्वव्याप्त कर दें ।
- 5- समस्त अनुभाग/प्रकाशित शासन सचिवालय ।

उप शासन सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 3- सचिव, लोकार्थिक सचिवालय, जयपुर ।
- 4- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
- 5- अध्यक्ष, राजस्थान जिल्ला सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
- 6- अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।

उप शासन सचिव

कुलवन्त